कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं;-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/ 100 भोपाल, दिनांक 07/01/2025

प्रति,

वन महानिरीक्षक, (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:- जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अंतर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 08/03/2024

--00--

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गयी जानकारी का उत्तर आवेदक विभाग से प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

क्रं	प्रकरण में ली गयी आपत्तियां	आपत्तियों का उत्तर
1	In order to have actual assessment of the no. of trees involved in the project, the species wise and girth class wise complete enumeration of the trees falling in proposed diversion area as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.	प्रकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना वास्तविक आधार पर की गयी है। प्रकरण में केवल वनमण्डल नर्मदापुरम (होंशगाबाद) में वृक्षों की गणना सेम्पल प्लाट डालकर की गयी है। प्रकरण में यह भी लेख है, कि भारत सरकार, द्वारा जारी गाईडलाइन दिनांक 29.12.2023 के बिन्दु क्रं. 1.4 (vi) अनुसार 10 हेक्टेयर से अधिक के प्रकरणों में वृक्षों की गणना सेम्पल प्लाट या कार्य आयोजना के अनुसार की जा सकती है। अत: वनमण्डल नर्मदापुरम में सेम्पल प्लाट डालकर की गयी गणना को मान्य करने का अनुरोध है।
2	The study of the possible impacts of the project on the Biodiversity and Wildlife by Wildlife Institute of India along with the specific recommendation from the CWLW and State Govt. as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.	इस बिन्दु में लेख है, कि परियोजना से वन्यजीवों पर पडने वाले विपरीत प्रभाव एवं मिटिगेशन मेजर्स के संबंध में निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा पत्र क्रमांक WII-CAP/NVDA/188 दिनांक 28.11.2024 से तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव तैयार किया गया है, सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। उक्त अध्ययन की अवधि 24 माह की होगी जिसका वित्तीय व्यय आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा, इस हेतु कार्यालयीन पत्र दिनांक 07.01.2024 से आवेदक संस्थान को लेख किया गया है।
3	The recommendations/comments of National Tiger Conservation Authority (NTCA) on the instant proposal as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.	इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक द्वारा पत्र दिनांक 12/09/2024 एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 07.01.2024 से प्रस्तावित वनभूमि की KML File संलग्न प्रेषित कर सदस्य सचिव, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली को अभिमत उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। (पत्रों की छायाप्रति संलग्न है)
4	Necessary action as per rules to seek the requisite recommendations of NBWL/ SBWL as requested has not been taken by the State Govt. which needs submission.	बिन्दु क्रमांक-3 पर दिये गये विवरण अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जाकर सैद्वांतिक स्वीकृति के पश्चात प्रस्तुत कर दी जावेगी।

-2-

5	The complete CA scheme, along with relevant documents, revenue record, maps and KML files for the total non-forest land proposal for Compensatory Afforestation and to ensure that the proposed area is free from all encumbrances as requested has not been submitted by the State Govt.	इस बिन्दु के संबंध में लेख है, कि प्रकरण अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गयी जिला जबलपुर की 170.00 हे. भूमि, जिला आगर मालवा की 212.420 हे. भूमि, जिला सागर की 668.28 हे. भूमि इस प्रकार कुल 1050.70 हे. गैर वनभूमि की वृक्षारोपण योजना तैयार कर ली गयी है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति आदेशों की प्रति संलग्न है। आवेदक संस्थान ने लेख किया है, कि भारत सरकार, द्वारा जारी गाईडलाइन दिनांक 29.12.2023 के बिन्दु क्रं. 11 (10) अनुसार 1000 हे. से अधिक के प्रस्तावों में चरणवार अनुमति दिये जाने का प्रावधान है, साथ ही गाईडलाइन के अध्याय 9 के बिन्दु क्रं. 9.1 अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना प्रस्ताव के विभिन्न चरणों मे चाही गई वनभूमि के अनुसार प्राप्त की जा सकती है।

अत: उपरोक्तानुसार अनुरोध है, कि प्रकरण को आगामी सलाहकार समिति की बैठक में चर्चा हेतु रखें जानें का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

07.01.25

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/ 101 भोपाल, दिनांक 07/01/2025

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, पी.आई.यू. सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

07.01.25

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

WII-CAP/NVDA/188 **Date: 28.11.2024**

To

The Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) and Chief Wildlife Warden
Madhya Pradesh Forest Department,
Ground floor, C-block, Van Bhavan,
Link road no-2, Tulsi nagar,
Bhopal – 462003
pccfwl@mp.gov.in

Sub: **Diversion of 2250.05-hectare forest land for construction of Morand - Ganjal irrigation project located in Hoshangabad, Betul, Harda and Khandwa districts of Madhya Pradesh state in favour of M/s Narmada Valley Development Authority (Online no. FP/MP/IRRIG/36231/2018) – Regarding.**

Ref: **क्रमांक/ व.प्रा/ वतअ.-1/WL/LM-22/8072, Bhopal, Dated 12/09/2024**

Sir,

In reference to the above subject, a technical and financial proposal to study the impacts of the project on the wildlife has been prepared. The duration to complete the study will be 24 months and financial outlay will be Rupees **2,85,54,912.00/-** (Two crore, eighty-five lakhs, fifty-four thousand, nine hundred and twelve only).

Submitted for further necessary action from your end.

Signed by
Virendra Rambahal Tiwari
Date: 30-11-2024 20:59:08
Virendra R. Tiwari

Director

Encl: As above

पत्रपेटी सं. 18, चन्द्रबनी, देहरादून - 248001, उत्तराखण्ड, भारत
Post Box No. 18, Chandrabani, Dehradun- 248001, Uttarakhand, INDIA
ई.पी.ए.बी.एक्स : +91-135-2640111 से 2640115, फैक्स : 0135-2640117
EPABX : +91-135-2640111 to 2640115; Fax : 0135-2640117
ई-मेल/Email : wii@wii.gov.in; वेब/website : www.wii.gov.in

Technical and Financial outlay for the diversion of 2250.05 ha forest land for construction of Morand - Ganjal irrigation project in Hoshangabad, Betul, Harda and Khandwa District of Madya Pradesh state in favour of M/s Narmada Valley Development Authority

Technical outlay

1. Background

Morand Ganjal Irrigation Project is proposed on rivers Morand and Ganjal which are the tributaries of Narmada River in Hoshangabad and Harda District respectively of Madhya Pradesh. Morand Dam is proposed near Morghat village of Seoni Malwa Tehsil of Hoshangabad District whereas Ganjal Dam is proposed In the Jawardha Village of Rehatgaon Tehsil of Harda District. 52205 Ha of irrigation in Hoshangabad, Harda and Khandwa is proposed through the project. Added to this provision of drinking water for 211 villages located within command area and Seoni Malwa town is also made in the project.

Irrigation is proposed in 28 villages of Hoshangabad District, 121 villages of Harda Districts and 62 villages of Khandwa Districts. Irrigable command area of the project is 52205 hectares. However, with irrigation intensity of 135%, annual irrigation of 70,477 Hectares can be done.

Morand Dam: Catchment area of this proposed dam on Morand River of Seoni Malwa Tehsil of Hoshangabad District is 1031.99 Sq. Km. Location of dam is 22° 19° 23.02" N and 77° 28' 43.30" E. MDDL of this dam is 349.250 m, FRL is 366.228 m and MWL is 367.006 m. Two canal systems MRBC and MLBC are proposed through this dam. Lengths of MRBC and MLBC are 20.816 Km and 19 428 Km respectively. Total submergence in Morand Dam is 2200.68 Hectares which comprises of 532.33 Ha Private Land, 230.70 Ha Revenue Land and 1437.65 Ha Forest Land respectively. Four villages of Seoni Malwa Tehsil (Hoshangabad District) namely Morghat, Lahi, Kamtha, Samardha and two villages of Chicholi tehsil (Betul District) namely Jamnagari and Jhiriyadoh are coming under partial submergence. 2253 populations are affected through this dam comprised of 34 Scheduled Caste, 2120 Scheduled Tribe and 99 General Caste. Rehabilitation site to Project Affected Families is proposed in nearby Lokhartalai village of Seoni Malawa Tehsil (Hoshangabad District).

Ganjal Dam: Catchment area of this proposed dam on Ganjal River of Rehatgaon Tehsil of Harda District is 413.49 Sq. Km. Location of dam is 22° 13' 47.27 N and 77° 19' 50.58" E. MDDL of this dam is 358.044 m, FRL is 376.067 m and MWL is 376.775 m. GLBC is proposed through this Dam having length of 4.095 Km. GLBC meets the junction of MLBC and Combined Canal (62.838Km). Total submergence in Ganjal Dam is 833.24 Hectares which comprises of 97.17 Ha Revenue and 736.07 Ha Forest Land respectively. Two Forest villages of Rehatgaon Tehsil (Harda District) namely Bothi and Kayarighat are coming under partial submergence 795 populations are affected through this dam comprised of 785 Scheduled Tribe and 10 General Caste.

Morand and Ganjal Complex Project: A total of 52205 Ha of land will be irrigated by the canals which originate from the dams built separately across the tributaries of Narmada namely Morand and Ganjal. These canals will irrigate 211 villages and also facilitate domestic water supply to villages of Seoni-Malwa. The total Command Area has been divided into two parts-A and B.

Proposed Command Area-A covers a total of 133 villages out of which 21 villages belong to Khirkhiya tehsil, 50 villages belong to Sirali tehsil of Harda district and 62 villages belong to Harsud tehsil of Khandwa district. It is proposed to irrigate 35330 Ha in Command Area-A, which includes 10000 Ha by Pressure system and 25330 Ha by open channel.

2. Objectives

1. Generate baseline information on the biodiversity (vegetation, invertebrates, fishes, herpetofauna, birds, and mammals) within the proposed project site
2. Assess the ecological impact of the project on the biodiversity in the project site
3. Evaluate the impact of the project on the Satpura - Melghat Tiger Corridor (Map 1)
4. Formulate appropriate mitigation measures to the impact of the project activity in the project site

3. Methodology

1. Vegetation: 1 km transect with alternating quadrates of 10m x 10m for trees, 5m x 5m for shrubs and 1m x 1m for herbs and grass.
2. Invertebrates: Polard walk of 500 m with 5 m belt transect for butterflies, 5m x 5m quadrates for other insects within the vegetation plots
3. Fishes: To assess the diversity of freshwater fishes we will be sampling major rivers and minor streams within the prescribed 16 km radius impact zone. The sampling will be done in 100 m stretch along the selected rivers and streams using gillnets (mesh size =15mm), cast nets (mesh size =10mm) and drag nets (mesh size =1mm) for collection of fish species (Mondal *et al,* 2020, Bhat 2003 & Johnson *et al,* 2020). For statistical analysis related to species richness, abundance, density we will consider only the adult fish numbers (Mondal *et al,* 2020). The collected live individuals of each species will be measured using tape and photo-documented for taxonomic identification and will be released back into the habitat without causing any harm (Mondal *et al,* 2020; Bhat 2003). Taxonomic identification will be based on key by Jayaram (1999) and Talwar & Jhingran (1991). In addition to fish diversity its associated habitat for each sampling site will also be documented as it is an important determinant of fish diversity. Macrohabitat characters such as riparian cover, channel gradient, stream depth, stream width and bank structure will be noted. Microhabitat characters like water depth, velocity, cover type and substrate occupied by the fish species will be documented as well (Arunachalam 2000).
4. Herpetofauna: For assessment of amphibian and reptiles, we will follow Visual Encounter Survey (VES) method (Heyer *et al*, 1994), as this method has high detection probability (Sutherland 2006). Most of the amphibian species require moist and humid habitat for existence hence, streams selected for fish survey will be surveyed for amphibians likewise. The survey requires time constrained (2 hours at dawn and 2 hours at dusk) active search for reptiles and amphibians in selected sites. During active search the microhabitat characteristics, such as rock, ledge, streams, ground, leaf litter, tree trunk, log, etc., will be noted. The time of the day, temperature and humidity of the location will add to the environmental variables (Gururaj & Ramachandra, 2012; Karthik *et al*, 2018). The captured amphibians and reptiles will be measured using ruler,

measuring tape, and Vernier callipers for valid identification. The geographic location and photograph of all the individual animals will be documented. The data from the survey will be utilized for deriving the α diversity (Shannon's and Simpson's index) and β diversity (Bray-Curtis' similarity index) of the habitat.

5. Birds: Point Count Survey: The sampling strategy involves a systematic point count survey (Bibby 2000) within a 2 by 2 km grid distributed across the entire impact zone. Surveys would be conducted at each designated point during optimal bird activity periods, such as early morning and late afternoon, to ensure maximum bird detection. Automatic recording units may be installed if necessary. A standardized period (e.g., 15 minutes) for each point count to maintain consistency across survey locations. All bird species observed or heard during the survey would be identified and recorded using visual and auditory cue. Further the species name, their count, and any distinctive behaviors would be noted.
6. Mammals: The study area will be sampled in a 2x2 km grid framework using a stratified random sampling approach. Camera traps will be strategically deployed in the selected grids after an intensive reconnaissance survey. This meticulous grid-based approach ensures comprehensive coverage and minimizes bias in sampling. The camera traps will help us to estimate the diversity and population status of mammalian species in the area. These data, including species identification, timestamps, and GPS coordinates, will be catalogued. Moreover, the collected images will allow for individual identification, aiding in population estimation and behavioural analysis.
   Sign Survey Method: Sign survey tracks will be systematically established within the study area to document and analyse mammalian signs such as tracks, scat, burrows, and other indicators of species presence. This data will be correlated with camera trapping results to enhance species identification and validate the findings. The sign survey will provide supplementary information to bolster the camera trapping data, offering a more holistic understanding of mammalian species' distribution within the study area.
7. GIS & Remote Sensing: Land-use and Land-cover maps will be made from satellite images (Landsat 8 / Sentinel-2) for visualizing the heterogeneity of the landscape. Habitat fragmentation will be assessed using the fragstat application where the remote sensed imagery and ground data will be combined to give the area that will be lost due to clearing. Habitat suitability and Habitat connectivity analysis will be carried out in ArcGIS pro to elucidate suitable habitats around the study area for each taxa under study and to provide habitat connectivity between the two tiger reserves.

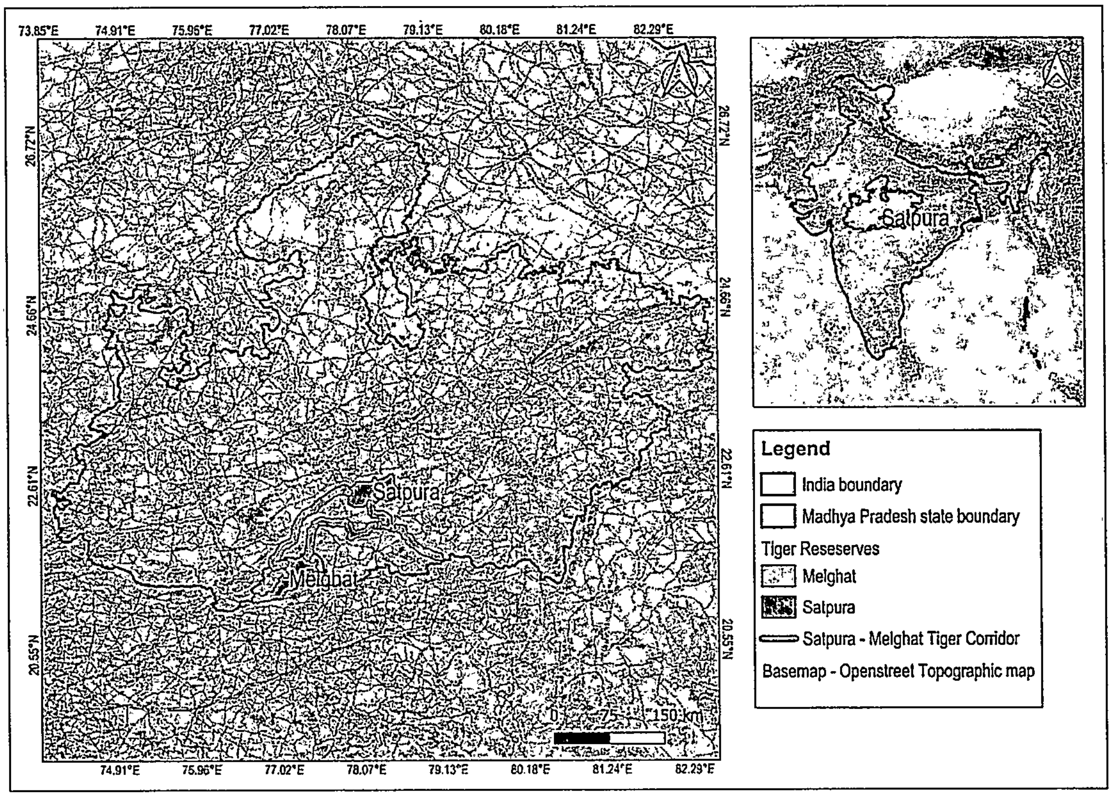

Map 1. Location of Satpura – Melghat Tiger Reserves and Corridor

1. Timeline

	Year 1												Year 2											
	Pre-monsoon			Monsoon					Winter				Pre-monsoon			Monsoon					Winter			
	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February
Literature survey	■	■																						
Reconnaissance	■	■	■																					
Vegetation survey				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Invertebrate survey				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Fish survey				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Herpetofauna survey				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Birds survey				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Mammal survey				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
GIS & Remote Sensing analysis				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Data entry and analysis																■	■	■	■	■	■			
Report preparation																			■	■	■	■	■	■

Financial outlay

S.No.	Designation	Remuneration/month	Number of persons	Period/ Item	Total
1	Senior Project Associate (Ecology)	42,000 + 20% HRA = 50,400	1	24 months	₹ 12,09,600.00
2	Senior Project Associate (GIS & Remote sensing)	42,000 + 20% HRA = 50,400	1	24 months	₹ 12,09,600.00
3	Project associate - I (Mammals)	31,000 + 20% HRA =37,200	1	24 months	₹ 8,92,800.00
4	Project associate - I (Birds)	31,000 + 20% HRA =37,200	1	24 months	₹ 8,92,800.00
5	Project associate - I (Herpetology)	31,000 + 20% HRA =37,200	1	24 months	₹ 8,92,800.00
6	Project associate - I (Aquatic ecology)	31,000 + 20% HRA =37,200	1	24 months	₹ 8,92,800.00
7	Project associate - I (Vegetation)	31,000 + 20% HRA =37,200	1	24 months	₹ 8,92,800.00
8	Project associate - I (Invertebrates)	31,000 + 20% HRA =37,200	1	24 months	₹ 8,92,800.00
9	Project associate - I (Sociology)	31,000 + 20% HRA =37,200	1	24 months	₹ 8,92,800.00
10	Project associate - I (GIS & RS)	31,000 + 20% HRA =37,200	1	24 months	₹ 8,92,800.00
11	Project assistants	20,000 + 20% HRA = 24,000	4	24 months	₹ 23,04,000.00
12	Administrative assistant	20,000 + 20% HRA = 24,000	1	24 months	₹ 5,76,000.00
13	Field assistants	10000/month	6	12 months	₹ 7,20,000.00
14	GPS device	₹ 25,000.00		6 nos	₹ 1,50,000.00
15	Workstation (intel i7 12th gen)	₹ 2,00,000.00		1 no	₹ 2,00,000.00
16	Laptop (i5 based)	₹ 60,000.00		6 nos	₹ 3,60,000.00
17	Software license (ArcGis Pro & Erdas)	₹ 20,00,000.00		1 each	₹ 20,00,000.00
18	Cameras (Olympus T7 & Nikon P950)	₹ 65,000.00		6 nos	₹ 3,90,000.00
19	Camera traps	₹ 25,000.00		50 nos	₹ 12,50,000.00
20	Fishing nets and gears (Lump sum)	₹ 2,00,000.00		1set	₹ 2,00,000.00
21	Plankton survey equipment (Lump sum)	₹ 50,000.00		1set	₹ 50,000.00
22	Length measuring tape & instruments (Lump sum)	₹ 30,000.00		1set	₹ 30,000.00
23	Weather monitoring station (portable)	₹ 20,000.00		1set	₹ 20,000.00
24	Handheld weather meter (Lump sum)	₹ 35,000.00		2 nos	₹ 70,000.00
25	Audiomoth sound recorders (Lump sum)	₹ 10,000.00		10 nos	₹ 1,00,000.00
26	Consumables (Lump sum)	₹ 5,00,000.00			₹ 5,00,000.00
27	Travel for scientists (Lump sum)	₹ 5,00,000.00			₹ 5,00,000.00
28	Travel expenses of researchers (Lump sum)	₹ 6,00,000.00			₹ 6,00,000.00
29	Basecampe establishment (Lump sum)	₹ 5,00,000.00			₹ 5,00,000.00
30	Vehicle hiring for field work	40,000 per vehicle x 2 vehicles per month = 80,000		12 months	₹ 9,60,000.00
31	Printing & Publishing charges (Lump sum)	₹ 5,00,000.00	1		₹ 5,00,000.00
32	Contingency	5 % of the total (11,27,080)			₹ 11,27,080.00
33	Miscellaneous	5 % of the total (11,27,080)			₹ 11,27,080.00
	Total				**₹ 2,37,95,760.00**
34	Institutional charges	20% of the total budget			₹ 47,59,152.00
	Overall total				**₹ 2,85,54,912.00**

*** This cost is exclusive of GST and the cost has to be borne by the funding agency**

<u>कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल</u>

<u>सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं;-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003</u>

क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/87 भोपाल, दिनांक 7-1-25

प्रति,

परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
पी.आई.यू. सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश।

विषयः- जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अंतर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भः- निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, पोस्ट बाक्स-18, चन्द्रबनी, देहरादून का पत्र क्रमांक WII-CAP/NVDA/188 दिनांक 28.11.2024

--00--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न है।) का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र से निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा परियोजना से वन्यजीवों पर पडने वाले विपरीत प्रभावों का अध्ययन करने के लिए तकनीकी प्रस्ताव तैयार किया गया है, अध्ययन पूरा करने पर राशि रूपये 2,85,54,912/- का मांग पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः प्रकरण में लेख है, कि निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा दिये गये मांग पत्र अनुसार राशि जमा कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसारा

07.01.25

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/ 88 भोपाल, दिनांक 7-1-25

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्र संचालक, सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

07.01.25

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

8490

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्य प्रदेश

भू–तल, सी–ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड़ नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003
दूरभाष : 0755–2674248, 2524275, फैक्स : 0755–2674206 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / व.प्रा. / वतअ.–1 / WL/LM-22 / 8070 भोपाल, दिनांक 12-9-2024

प्रति,

सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार,
बी–1 विंग, सातवां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषय :– **जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अंतर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत्।**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल की टीप क्रमांक / 166 दिनांक 29.02.2024 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / व.प्रा. / वतअ.–1 / LM-2 / 2487 दिनांक 21.03.2024 तथा क्रमांक / व.प्रा. / वतअ.–1 / WL/LM-22 / 2977 दिनांक 15.04.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित टीप से जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अंतर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने संबंधी पोर्टल पर वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ऑनलाईन प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक FP/MP/IRRIG/36531/2018 तथा प्रभावित वनक्षेत्र की वन्यप्राणी स्वीकृत हेतु प्रकरण क्रमांक WL/MP/IRRIG/452403/2023 प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रकरण में प्रस्तावित 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रकरण के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एफ.सी. डिविजन) नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 27.11.2023 के बिन्दु क्रमांक–iii एवं पत्र दिनांक 16.02.2024 के बिन्दु क्रमांक–iii में प्रस्तावित क्षेत्र सतपुड़ा मेलघाट टाइगर कॉरीडोर के अंतर्गत होने से राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली का अभिमत चाहा गया है। इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 21.03.2024 एवं 15.04.2023 से भारत सरकार के उक्त पत्रों की छायाप्रतियां प्रेषित करते हुए प्रकरण में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का अभिमत उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, जो आपसे आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.11.2023 एवं 16.02.2024 के बिन्दु क्रमांक–iii के संबंध में अभिमत प्रेषित करने का पुनः अनुरोध है, ताकि तदानुसार अभिमत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एफ.सी. डिविजन) नई दिल्ली को प्रेषित किया जा सके।

12/9/2024
(व्ही.एन. अम्बाड़े)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र.

पृ. क्रमांक / व.प्रा. / वतअ.–1 / WL/LM-22 / 8071 भोपाल, दिनांक 12-9-2024

प्रतिलिपिः–

1. सहायक वन महानिदेशक, एफ.सी. डिविजन, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज नई दिल्ली–110003 की ओर उनके पत्र दिनांक 27.11.2023 एवं 16.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर संदर्भित टीप के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/9/2024
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र.

D:\DM Sec\DM Letter-2024.docx

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं;-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/ 99 भोपाल, दिनांक 07/01/2025

प्रति,

सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार,
बी-1 विंग, सातवां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. काम्पालेक्स, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003

विषयः- जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अंतर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय का क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/6140, दिनांक 30.12.2024

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न है) का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 08/03/2024 के बिन्दु क्रं-iii से राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का अभिमत/अनुशंसा चाही गयी है।

अतः प्रकरण में अनुरोध है, कि भारत सरकार के चाहे अनुसार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का अभिमत/अनुशंसा उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु प्रकरण में प्रस्तावित वनभूमि की KML File आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रस्तुत है।

संलग्न:- KML File

07.01.25

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\AJ\Data-irrigation\e-office\Section F-3 (Part-iv).docx

परिशिष्ट - 2

<u>कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म0 प्र0) — 482 001</u>

<u>आदेश</u>

क्रमांक/व्यय0/ 67

जबलपुर दिनांक 9/10/2023

जिला होशंगाबाद,बैतूल,हरदा एवं खंडवा के अंतर्गत मोरण्ड—गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे0 वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू—प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र0 एफ—3/16/2018/10—11/4302 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा 17,00,000 पौधों को रोपित करने की 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तयार करने के निर्देश के फलस्वरूप वनमण्डलाधिकारी, सा0 वनमंण्डल, जबलपुर के पत्र क्र0/मा0चि0/1345 दिनांक 03.10.2023 से प्राप्त पुनरीक्षित 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्राकलन का परीक्षण उपरांत एवं व0 म0 अ0 जबलपुर द्वारा की गयी अनुशंसा उपरांत म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र0/1194/191/ 2022/नियम/4/दिनांक 14.07.2022 के माध्यम से म0प्र0 बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 के भाग—2 के अंतर्गत अनुक्रमांक 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती हैं :—

योजना का नाम	परिक्षेत्र	बीट	कक्ष क्र0	रकवा (हे0 में)	अवधि	अनुमानित राशि (रूपये में)
मोरण्ड—गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण	कुण्डम	ददरगवां	RF 340	40.00	2025—2026 से 2035—36 तक	2,18,56,417.00
		ददरगवां	RF 340	30.00		1,62,16,700.00
		बारंतोरी	O-587, RF-296	40.00		2,19,23,761.00
		डबरा	RF-311	25.00		1,44,50,336.00
		बघराजी	O-593	35.00		2,03,39,046.00
			योग	170.00		9,47,86,260.00

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन हैं ;—

(1) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये हैं । यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराऐं। इस स्वीकृति के अधीन उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न कराया जावें ।

(2) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे । स्थल किसी योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो ध्यान रखा जाये इसकी जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

(3) कोई भी सामग्री क्रय करते समय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करेंगे।

(4) किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्थल/प्रोजेक्ट में उल्लेखित कार्यो के परिवर्तन की दशा में पुनरीक्षित तकनीकी जारी करायेगें ।

(5) कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार कर कार्य प्रारंभ करायेगें। उक्त निर्देशों के अभाव में तकनीकी स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जावेगी।

(कमल अरोरा, भा0व0से0)
वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

Email 12.22 PM
03-10-23

पृ0क्रमांक/मा0चि0/ 6713 जबलपुर, दिनांक 9 /10/2023

प्रतिलिपि :— 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) म0 प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म0 प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

3. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जबलपुर की ओर उनके पत्र क्र0 /मा0चि0 /1345 दिनांक 03.10.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक,
मध्यवृत्त जबलपुर
9/10/23

आदेश द्वारा एम.आर. बघेल (भा.व.से.) वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/तकनीकी/2024/13

उज्जैन, दिनांक 08-02-2024

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29-01-2024 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे. वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा द्वारा निम्नानुसार आदेशो से 275.28 हे. गैर वनभूमि (ग्राम गरड़ा की 93.38 हे., ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे., ग्राम बीड माधोपुर की 85.06 हे. एवं ग्राम डोंगरगांव की 33.98 हे.) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है।

1. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/358 दिनांक 21.09.2021
2. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/359 दिनांक 21.09.2021
3. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/360 दिनांक 21.09.2021
4. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/361 दिनांक 21.09.2021

उपरोक्तानुसार आवंटित गैर वनभूमि 275.28 हे. मे से ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे. गैर वनभूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है एवं 212.42 हे. गैर वनभूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाएँ वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित की है।

क.	तहसील	ग्राम का नाम	आवंटित रकबा	सर्वे नम्बर	वैकल्पिक वृक्षा. रोपण योजना रकबा	रोपण योग्य रकबा	योजना अनुसार प्रस्तावित पौधा संख्या	योजना राशि
1	सुसनेर	गरड़ा	93.380	292/2, 304/1, 304/3, 305, 308, 309, 310, 311	78.380	23.380	37000	21193400
2				219	15.000	10.000	15000	10315448
3	सुसनेर	बीड माधोपुर	85.060	215	4.000	2.000	2000	4135808
4				190, 192, 193, 199, 213, 215	38.250	21.000	33000	17628413
5				151, 158, 160,	19.090	10.000	16000	11238128
6				34,35	20.720	10.000	16000	11301378
7				16	3.000	1.000	1000	1541984
8	सुसनेर	डोंगरगांव	33.980	461 to 467	33.980	20.000	32000	16086488
	महायोग		212.420		212.420	97.380	152000	93441047

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल शाजापुर द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाएँ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के पत्र क्रं. 4050 दिनांक 30-12-2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :-

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी/3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018/10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।
4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।
5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 2.50 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।

6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नही होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नही है तो उस स्थल पर कार्य नही कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होनें पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 3410 एवं दिनांक 13—11—2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal मे समय–समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

21) क्षेत्र घेराव हेतु फेंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।

22) योजना मे रोपित किये जाने वाले पौधो का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिशचित करें।

24) परियोजना मे आवेदक संस्था से पर्यवेक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार पृथक से ली जाना सुनिश्चित करे।

25) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(एम.आर. बघेल)
भा.व.से.
वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/तकनीकी/2024/ 7.07 /1 उज्जैन, दिनांक 08/02/2024

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29—01—2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

आदेश द्वारा एम.आर. बघेल (भा.व.से.) वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

उज्जैन, दिनांक 08.02.2024

आदेश क्रमांक/तकनीकी/2024/14

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रं./मानचि/2024/420
दिनांक 29–01–2024 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत
मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे. वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
को उपयोग पर देने के प्रकरण मे न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा द्वारा निम्नानुसार आदेशो से
275.28 हे. गैर वनभूमि (ग्राम गरड़ा की 93.38 हे., ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे., ग्राम बीड माधौपुर की
85.06 हे. एवं ग्राम डोंगरगांव की 33.98 हे.) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है।

1. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/358 दिनांक 21.09.2021
2. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/359 दिनांक 21.09.2021
3. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/360 दिनांक 21.09.2021
4. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/361 दिनांक 21.09.2021

उपरोक्तानुसार आवंटित गैर वनभूमि 275.28 हे. मे से ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे. गैर वनभूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है एवं 212.42 हे. गैर वनभूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं मे स्थल उपयुक्तता अनुसार 152000 पौधो का रोपण प्रस्तावित किया गया है। शेष 60420 पौधो के रोपण हेतु अन्य बिगड़े वनक्षेत्र से निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित की है।

क.	परिक्षेत्र का नाम	वनखण्ड का नाम	कक्ष क.	प्रस्तावित रकबा	योजना अनुसार प्रस्तावित पौधा संख्या	योजना राशि
1	आगर	श्यामगढ़	पी–13	30.00	15000	11400876
2		बाजना	पी–22	25.00	12000	9597039
3		महुडिया	पी–14	36.00	33420	15983295
			योग :–	91.00	60420	36981210

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल शाजापुर द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के पत्र क्रं. 4050 दिनांक 30–12–2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्ड़लाधिकारी शाजापुर द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत्त ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी./3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक–एफ–03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।
4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।
5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्ड़ार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई–मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 2.50 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावे।
6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करें, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नही होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नही है तो उस स्थल पर कार्य नही कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होनें पर मजदूरों की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होनें पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13–11–2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal में समय–समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेंगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावें।

20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

21) क्षेत्र घेराव हेतु फेंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।

22) योजना मे रोपित किये जाने वाले पौधो का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

24) परियोजना में आवेदक संस्था से पर्यवेक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार पृथक से ली जाना सुनिश्चित करे।

25) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(एस.आर. बघेल)
भा.व.से.
वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/तकनीकी/2024/767B उज्जैन, दिनांक 08/02/2024

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29–01–2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/41 // आदेश //

सागर दिनांक 06/6/2024

वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./784 दिनांक 27/05/2024 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना (FP/MP/IRRIG/36231/2018) के निर्माण में प्रभावित 2250.05 हेक्ट वन भूमि बदले में कलेक्टर सागर द्वारा हस्तांतरित परिक्षेत्र सागर के निम्नांकित खसरों की रकवा 55.00 हेक्ट गैरवनभूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्राक्कलन हेतु कुल राशि रूपये 29458469/- की 11 वर्षीय कुल 02 प्राक्कलन (वर्ष 2026-27 से 2036-37 तक) तकनीकी स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र कमांक/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03/09/2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तो के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र	वनमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम	परिक्षेत्र	ग्राम	प.ह.नं.	खसरा न.	रकवा हे. में	राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दक्षिण सागर	मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना (FP/MP/IRRIG/36231/2018)	सागर	खमकुआ	61	6	30.00	15533595
2					61	9/1	25.00	13924874
						Total	55.00	29458469

1. मुख्यालय द्वारा CA मद के अंतर्गत कुल रकवा एवं राशि से प्रति हे.व्यय अधिक न हो यह सुनिश्चित करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का दायित्व होगा।
2. प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
3. कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।
4. कार्य कराने में श्रम नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी.एस.टी.की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/06/2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावें। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र कं/कैम्पा/318 iv/361 दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
6. रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
7. प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यो का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक कियान्वयन किया जावे।
8. यदि कराये गये कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य स्थल पर नही पाये जाते है तो उक्त संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।
9. वृक्षारोपण क्षेत्र की KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
10. वृक्षारोपण हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री स्वीकृत निविदा दर/वरिष्ठ के निर्देशों के अनुरूप ही की जावें, भिन्नता पाये जाने पर क्रय करने वाले अधिकारी एवं संबंधित सत्यापनकर्त्ता अधिकारी उत्तरदायी होगें।
11. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र/अनु./168 दिनांक 17/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावेसंपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
12. कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/6/2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

D/Moaz/Campa /TS 2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक/एफ-2/2022-23/10-3/2956-2957 भोपाल दिनांक 26/10/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/469/2069-2070 दिनांक 14/09/2022 के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण (CA) एवं NPV मद के अंतर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण कार्य में केंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) के उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।

15. वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/470-62/2539-2540 दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक/एफ-2/2022-23/10-3/1538 भोपाल दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी(कैम्पा)म.प्र.भोपाल का पत्र कमांक/कैम्पा/3445 दिनांक 14/08/2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार CAMPA मद के अंतर्गत संपादित समस्त कार्यो (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन.पी.व्ही. अंतर्गत वृक्षारोपण, भवन निर्माण, लेंटाना/खरपतवार उन्मूलन, पुल /पुलिया निर्माण, भू-जल संरक्षण कार्य, नर्सरी अद्योसंरचना कार्यो) को E-green watch portal पर (के.एम.एल/अंक्षाश देशांतर सहित) प्रमाण-पत्र तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।

19. वृक्षारोपण योजना प्राक्कलनों में प्रस्तावित भू-जल संरक्षण कार्यो हेतु प्रस्तावित राशि से भू-जल संरक्षण कार्यो के अंतर्गत बोल्डर चेकडेम/ब्रशबुड चेकडेम छोटे-छोटे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चरर्स एवं यथा स्थल पर परकोलेशन टेंक, भू-जल संरक्षण संरचानाओं की गाइडलाईन अनुसार बनाये जावें।

उक्त व्यय (कैम्पा मद) के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ कमांक-SS...2... के अनुकमांक 10...पर दर्ज की गई है।

(अनिल के सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर

पृ.क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/956 सागर दिनांक : 7/6/2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. महालेखाकार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन मण्डल दक्षिण सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./784 दिनांक 27/05/2024 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
5. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्राक्कलन अनुक्रम-4

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/46 सागर दिनांक : 28/06/2024

वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./1037 दिनांक 27/06/2024 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना (FP/MP/IRRIG/36231/2018) के निर्माण में प्रभावित 2250.05 हेक्ट वन भूमि बदले में कलेक्टर सागर द्वारा हस्तांतरित परिक्षेत्र गौरझामर के निम्नाकित खसरों की रकवा 150.00 हेक्ट गैरवनभूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्राक्कलन हेतु कुल राशि रूपये 170739068/- की 11 वर्षीय कुल 02 प्राक्कलन (वर्ष 2026-27 से 2036-37 तक) तकनीकी स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03/09/2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तो के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र	वनमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम	परिक्षेत्र	ग्राम	खसरा न.	रकवा हे.में	राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	7	8	9
1	दक्षिण सागर	मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना (FP/MP/IRRIG/36231/2018)	गौरझामर	जैतपुर कछया	571/1	15	21721930
2				जैतपुर कछया	571/1	35	38469759
3				डोंगरसलैया	181	70	74141611
4				डोंगरसलैया	181	30	36405768
					Total	150	170739068

1. मुख्यालय द्वारा CA मद के अंतर्गत कुल रकवा एवं राशि से प्रति हे.व्यय अधिक न हो यह सुनिश्चित करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का दायित्व होगा।
2. प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
3. कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ करायें जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।
4. कार्य कराने में श्रम नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी.एस.टी.की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/06/2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावें। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र कं/कैम्पा/318 iv/361 दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
6. रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
7. प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यो का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक कियान्वयन किया जावे।
8. यदि कराये गये कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य स्थल पर नही पाये जाते है तो उक्त संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।
9. वृक्षारोपण क्षेत्र की KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
10. वृक्षारोपण हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री स्वीकृत निविदा दर/वरिष्ठ के निर्देशों के अनुरूप ही की जावें, भिन्नता पाये जाने पर क्रय करने वाले अधिकारी एवं संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होगें।
11. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र/अनु./168 दिनांक 17/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावेसंपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोंटो ग्राफ्स, वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

12. कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/6/2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक/एफ-2/2022-23/10-3/2956-2957 भोपाल दिनांक 26/10/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/469/2069-2070 दिनांक 14/09/2022 के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण (CA) एवं NPV मद के अंतर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण कार्य में केचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) के उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।

15. वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/470-62/2539-2540 दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक/एफ-2/2022-23/10-3/1538 भोपाल दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी(कैम्पा)म.प्र.भोपाल का पत्र कमांक/कैम्पा/3445 दिनांक 14/08/2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार CAMPA मद के अंतर्गत संपादित समस्त कार्यो (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन.पी.व्ही. अंतर्गत वृक्षारोपण, भवन निर्माण, लेंटाना/खरपतवार उन्मूलन, पुल /पुलिया निर्माण, भू-जल संरक्षण कार्य, नर्सरी अद्योसंरचना कार्यो) को E-green watch portal पर (के.एम.एल/अंक्षाश देशांतर सहित) प्रमाण-पत्र तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।

19. वृक्षारोपण योजना प्राक्कलनों में प्रस्तावित भू-जल संरक्षण कार्यो हेतु प्रस्तावित राशि से भू-जल संरक्षण कार्यो के अंतर्गत बोल्डर चेकडेम/ब्रशबुड चेकडेम छोटे-छोटे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चरर्स एवं यथा स्थल पर परकोलेशन टेंक, भू-जल संरक्षण संरचानाओं की गाइडलाईन अनुसार बनाये जावें।

उक्त व्यय (कैम्पा मद) के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ कमांक-SS...2... के अनुकमांक 12 पर दर्ज की गई है।

(अनिल के सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर

पृ.क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/1091 सागर दिनांक :28/6/2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. महालेखाकार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन मण्डल दक्षिण सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./1037 दिनांक 27/06/2024 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
5. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्राक्कलन अनुक्रम-4

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/23 सागर दिनांक :05/03/2024

वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./342 दिनांक 01/03/2024 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना (FP/MP/IRRIG/36231/2018) के निर्माण में प्रभावित 2250.05 हेक्ट वन भूमि बदले में कलेक्टर सागर द्वारा परिक्षेत्र केसली के निम्नांकित खसरों की रकवा 463.238 हेक्ट वैकल्पिक वृक्षारोपण प्राक्कलन हेतु कुल राशि रूपये 456542663/- की 11 वर्षीय कुल 12 प्राक्कलन (वर्ष 2024-25 से 2034-35 तक) तकनीकी स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र कमांक/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03/09/2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तो के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र	वनमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम	परिक्षेत्र	खसरा न.	रकवा हे.में	राशि (रूपये में)
1	2	3	4	6	7	8
1	दक्षिण सागर	मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना (FP/MP/IRRIG/36231/2018)	केसली	20, 21, 232, 246	108.050	100044585
2				3	21.600	24791362
3				109	11.300	16034260
4				21, 22, 24	32.930	34603705
5				72	18.100	20543355
6				24, 84/1	42.000	42494377
7				402/1	30.100	29175042
8				444, 447	26.600	27899617
9				336	14.540	17551957
10				673	41.560	39579099
11				103	100.00	84499829
12				234/1	16.500	19325475
				Total	463.28	456542663

1. मुख्यालय द्वारा CA मद के अंतर्गत कुल रकवा एवं राशि से प्रति हे.व्यय अधिक न हो यह सुनिश्चित करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का दायित्व होगा।
2. प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
3. कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।
4. कार्य कराने में श्रम नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी.एस.टी.की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/06/2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावें। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र कं/कैम्पा/318 iv/361 दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
6. रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
7. प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यो का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक कियान्वयन किया जावे।
8. यदि कराये गये कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य स्थल पर नही पाये जाते है तो उक्त संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।
9. वृक्षारोपण क्षेत्र की KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
10. वृक्षारोपण हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री स्वीकृत निविदा दर/वरिष्ठ के निर्देशों के अनुरूप ही की जावें, भिन्नता पाये जाने पर क्रय करने वाले अधिकारी एवं संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होगें।

11. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./अनु./168 दिनांक 17/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावेसंपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

12. कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/6/2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक/एफ-2/2022-23/10-3/2956-2957 भोपाल दिनांक 26/10/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/469/2069-2070 दिनांक 14/09/2022 के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण (CA) एवं NPV मद के अंतर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण कार्य में केचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) के उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।

15. वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/470-62/2539-2540 दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक/एफ-2/2022-23/10-3/1538 भोपाल दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी(कैम्पा)म.प्र.भोपाल का पत्र कमांक/कैम्पा/3445 दिनांक 14/08/2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार CAMPA मद के अंतर्गत संपादित समस्त कार्यो (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन.पी.व्ही. अंतर्गत वृक्षारोपण, भवन निर्माण, लेंटाना/खरपतवार उन्मूलन, पुल /पुलिया निर्माण, भू–जल संरक्षण कार्य, नर्सरी अद्योसंरचना कार्यो) को E-green watch portal पर (के.एम.एल/अंक्षाश देशांतर सहित) प्रमाण–पत्र तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।

19. वृक्षारोपण योजना प्राक्कलनों में प्रस्तावित भू–जल संरक्षण कार्यो हेतु प्रस्तावित राशि से भू–जल संरक्षण कार्यो के अंतर्गत बोल्डर चेकडेम/ब्रशवुड चेकडेम छोटे–छोटे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चरर्स एवं यथा स्थल पर परकोलेशन टेंक, भू–जल संरक्षण संरचानाओं की गाइडलाईन अनुसार बनाये जावें।

उक्त व्यय (कैम्पा मद) के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ कमांक–SS-1..... के अनुक्रमांक 5....पर दर्ज की गई है।

(अनिल के सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर

पृ.क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/ 461
सागर दिनांक 06.../03/2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. महालेखाकार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन मण्डल दक्षिण सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./342 दिनांक 01/03/2024 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
5. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्राक्कलन अनुक्रम-4

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

D/Moaz/Campa TS 2024